

(प्रपत्र-48)

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-5.500 कि०मी०)

परियोजना हेतु नाप भूमि उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु समरेखण में पडने वाली नाप भूमि को विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है। जिस हेतु सभी ग्रामवासियों के साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण भी लिया जाता है। भूमि के एवज में भूमिधरों का मुअवजा दिया जाता है तथा आपसी समझौते के आधार भूमि अधिग्रहण की जाती है। अगर किसी भूमिधर के साथ आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो धारा 4 एवं 6 कार्यवाही कर भूमि अधिग्रहित की जाती है, यह एक सामान्यतः प्रक्रिया है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-5.500 कि०मी०)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला तक मोटर मार्ग निर्माण मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.3600 है० नाप भूमि की आवश्यकता है, जिसका अर्जन किया जाना है। ग्राम समा द्वारा निर्माण हेतु नाप भूमि देने के लिये सहमत है। अतः मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.3600 है० वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम कर अर्जन कर लिया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून


उप जिलाधिकारी
देहरादून
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून


तहसीलदार
सदर, देहरादून


जिलाधिकारी
देहरादून